पंजीयन संख्या 290/80-81 दिनांक 09-09-1980

डॉ० अम्बेडकर मेमोरियल वेलफेयर सोसायटी, राजस्थान जयपुर का संविधान

13-14, झालाना डूंगरी एरिया, जयपुर

(संशोधित संविधान)

(1) **नामः**

संस्था का नाम **"डॉ. अम्बेडकर मेमोरियल वेलफेयर सोसायटी राजस्थान"** होगा।

(2) **कार्य क्षेत्र :**

संस्था का कार्य क्षेत्र समस्त राजस्थान होगा।

(3) **लक्ष्य और उद्देश्यः**

संस्था के लक्ष्य और उद्देश्य डॉ0 बी. आर. अम्बेडकर की स्मृति को स्थायी बनाना व अनुसूचित जाति वर्ग के व्यक्तियों के सामाजिक, शैक्षणिक, सांस्कृतिक, वैज्ञानिक एवं साहित्यिक हितों का संवर्धन करना, सामाजिक, सांस्कृतिक तथा आर्थिक न्याय, प्रगति एव विकास करना, सेवा संबंधी मामलों में हर सम्भव एवं पर्याप्त मार्ग दर्शन प्रदान करना।

इन लक्ष्यों और उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए सोसायटी डॉ0 अम्बेडकर के विचारों पर चर्चा करने, प्रचार-प्रसार के लिए शोध संस्था एवं संस्थाओ और आम मंचों की स्थापना करेंगी। जरूरतमंद एवं प्रतिभाशाली छात्रों एवं विद्वानों के लिये छात्रवृत्तियां,पुस्तकें और पारितोषिक एवं पुरस्कार आदि प्रारम्भ करेंगी और सामाजिक, शैक्षणिक और सेवा संबंधी शिकायतो के लिए कक्ष स्थापित करेंगी।

इन उद्देश्यों के लिये सोसायटी चन्दे, विशेष अंशदान एवं दान द्वारा कोष इकट्ठा करेंगी एवं दान द्वारा कोष इकट्ठा करेंगी एवं संस्था के व्यापक हित में कोष का विनियोजन करेंगी। सम्पतियों एवं परिसम्पत्तियों पर नियन्त्रण तथा प्रबन्ध करेंगी।

(4) **व्याख्याः**

(1) संविधान से तात्पर्य हैं, भारत का संविधान।
(2) सरकार से तात्पर्य है, केन्द्रीय या राज्य सरकार।
(3) अनुसूचित जाति से तात्पर्य है, भारतीय संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त जातियों (समय-समय पर निकलने वाले आदेशों के अनुसार)
(4) सोसायटी से तात्पर्य है, डां0 अम्बेडकर मेमोरियल वेलफेयर सोसायटी राजस्थान
(5) वर्ष से तात्पर्य हैं। 1 अप्रेल से शुरू होने वाला तथा 31 मार्च को समाप्त होने वाला वित्तीय वर्ष।

(5) **सदस्य :**

अनुसूचित जाति का हर व्यक्ति पुरूष एवं महिला जिसकी उम्र 18 वर्ष या उपर हो तथा सोसायटी के लक्ष्य एवं उद्देश्य से सहमत हो, सोसायटी का सदस्य बनने का पात्र होगा। जिला स्तरीय शाखा और अन्य शाखाओं की सदस्यता अलग-अलग होगी, लेकिन इन शाखाओं के आजीवन/संरक्षक सदस्य केन्द्रीय कार्य समिति के भी सदस्य होंगे। बशर्ते कि ऐसे सदस्यों से प्राप्त सदस्यता शुल्क की 25 प्रतिशत राशि केन्द्रीय कार्य समिति को भिजवाई गई हो।

(6) **सदस्यता की समाप्ति :**

(1) मृत्यु होने पर
(2) सदस्यता से त्याग पत्र देने पर
(3) निष्कासन
   (1) यदि उसे बेईमानी या नैतिक चरित्रहीनता के अपराध में दण्ड मिला हो।
   (2) यदि वह जानबुझकर ऐसे कार्य करे जिनसे संस्था के हितो को नुकसान होने की सम्भावना हो।
   (3) पागल होने पर।
(4) उपनियम 16(6) के प्रावधानों का उल्लंघन करने पर

स्पष्टीकरण:

किसी सदस्य को सुनवाई का समुचित अवसर देने के बाद सम्बन्धित कार्यकारिणी दो–तिहाई सदस्यों की उपस्थिति में बहुमत द्वारा सोसायटी से निष्कासित कर सकेगी। सदस्यता की समाप्ति निष्कासन की तारीख से या निष्कासन के प्रस्ताव में निर्दिष्ट तारीख से प्रभावी होगा।

(7) सदस्यता शुल्क:–

(क) केन्द्रीय कार्य समिति (राज्य स्तर पर)
प्रवेश शुल्क 10.00रू
सदस्यता शुल्क – 400.00 रू (आजीवन)

(ख) जिला स्तरीय व अन्य शाखाऐं
प्रवेश शुल्क 2.00रू
सदस्याता शुल्क 11.00रू
आजीवन सदस्यता शुल्क – 400.00 रू

(ग) संरक्षक
संरक्षक सदस्य को 5000.00रू. शुल्क देना होगा और वे प्रदेश कार्यकारिणी के स्थायी सदस्य होगें।

(8) संगठन : केन्द्रीय कार्य समिति:–

(क) यह संगठन राज्य स्तर पर होगा और इसका मुख्यालय जयपुर में झालाना डूँगरी संस्थान क्षेत्र में होगा। इसके पदाधिकारी एवं सदस्य निम्न होगें:–

(1) अध्यक्ष– एक
(2) वरिष्ठ उपाध्यक्ष– एक
(3) उपाध्यक्ष– ग्यारह
(4) महासचिव– एक
(5) संयुक्त सचिव – ग्यारह
(6) संगठन सचिव – ग्यारह
(7) कोषाध्यक्ष– एक
(8) सदस्य कार्यकारिणी –21

(ख) जिला स्तरीय व अन्य शाखाओं की कार्यकारिणी इनके पदाधिकारी व सदस्य इस प्रकार होगें:–

(1) अध्यक्ष– 1
(2) **वरिष्ठ उपाध्यक्ष–1***
(3) उपाध्यक्ष–5
(4) सचिव–1
(5) संयुक्त सचिव–6
(6) कोषाध्यक्ष –1
(7) संगठन सचिव –6
(8) सदस्य कार्यकारिणी –11

(ग) **प्रदेश कार्यकारिणी : इनमें केन्द्रीय कार्यसमिति की कार्यकारिणी के अतिरिक्त निम्न सदस्य होगें–**

(1) संभागीय सचिव– (केन्द्रीय कार्य समिति द्वारा मनोनीत किये जायेगे)
(2) जिला स्तरीय व अन्य शाखाओं के अध्यक्ष
(3) संरक्षक सदस्य
(4) विशिष्ठ आमन्त्रित सदस्य
(5) संस्था के सम्बन्धता प्राप्त अन्य संस्थाओं के अध्यक्ष
(6) केन्द्रीय कार्य समिति के अध्यक्ष एवं महासचिव प्रदेश कार्यकारिणी के भी अध्यक्ष एवं महासचिव होगें।

(घ) 1. **कार्यकारिणी में यथा सम्भव अनुसूचित जाति की विभिन्न जातियों के प्रतिनिधित्व का पूरा ध्यान रखा जावे।‡**

2. **कार्यकारिणी में महिलाओं को प्रर्याप्त प्रतिनिधित्व दिया जावें।£**

(9) अन्य संस्थाओं से सम्बद्धता –

केन्द्रीय अथवा जिला स्तर पर इस संस्था के उदेश्यों से सहमती रखने वाली समान विचारधारा की अनुसूचित जाति की संस्थाओं को प्रदेश स्तर पर केन्द्रीय समिति व जिला स्तर पर जिला कार्यकारिणी सम्बद्धता(affilition) प्रदान कर सकेगी। सम्बद्धता शुल्क प्रदेश स्तर पर 500.00रू एवं जिला स्तर पर 200रू होगा जिसकी सम्बद्धता जिला स्तर तक सीमित रहेगी।

(10) चुनाव :

(क) केन्द्रीय कार्य समितिः– मत देने का अधिकार प्रदेश स्तर के सदस्यों को होगा। चुनाव लोकतांत्रिक पद्वति से होगा। **कार्यकारिणी के 58 पदों मे से अध्यक्ष, वरिष्ठ उपाध्यक्ष, महासचिव व कोषाध्यक्ष के चुनाव प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली से होगें। शेष 54 पदो का मनोनयन चारो पदाधिकारियो अर्थात् अध्यक्ष, वरिष्ठ उपाध्यक्ष, महासचिव व कोषाध्यक्ष की सहमति से किया जायेगा। विवाद होने की स्थिति मे अध्यक्ष का निर्णय अन्तिम होगा। चारो पदो (अध्यक्ष, वरिष्ठ उपाध्यक्ष, महासचिव व कोषाध्यक्ष) के मतदान जिला मुख्यालयों पर ही होगें। मतदाताओं की संख्या के आधार पर सुविधानुसार विभिन्न स्थानों पर बूथ स्थापित कर चुनाव सम्पन्न किये जा सकेगे। #**

(1) **कार्यकारिणी का कार्यकाल तीन वर्ष का होगा। €**

(2) चुनाव, अवधि समाप्ति के एक माह पूर्व तक कराने आवश्यक होंगे। निर्धारित अवधि में चुनाव नहीं कराने पर प्रदेश कार्यकारिणी के 5 सदस्यों के लिखित आवेदन पर बैठक बुलाकर नये चुनाव करवाने हेतु चुनाव अधिकारी नियुक्त कर चुनाव कराया जा सकेगा।

(ख) 1. जिला स्तरीय शाखा की तदर्थ कार्यकारिणी का गठन केन्द्रीय कार्य समिति करेंगी।

2. तदर्थ कार्यकारिणी के सदस्य तीन माह की अवधि में संभागीय सचिव की उपस्थिति में लोकतांन्त्रिक पद्वति से नियमित कार्यकारिणी का चुनाव करेंगे।

3. जिले की अन्य शाखाओं की तदर्थ कार्यकारिणी का गठन जिलाध्यक्ष करेंगे। इनकी नियमित कार्यकारिणी का चुनाव भी तीन माह की अवधि में जिलाध्यक्ष की उपस्थिति में लोकतांत्रिक पद्वति से कराया जायेगा।

4. जिला/शाखा कार्यकारिणी का कार्यकाल तीन वर्ष का होगा।

5. जिला/शाखा कार्यकारिणी के अध्यक्ष, वरिष्ठ उपाध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष के चुनाव प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली से होगें। शेष पदो का मनोनयन चारो पदाधिकारियो अर्थात् **अध्यक्ष, वरिष्ठ उपाध्यक्ष, महासचिव व कोषाध्यक्ष** की सहमति से किया जायेगा। विवाद होने की स्थिति मे अध्यक्ष का निर्णय अन्तिम होगा।

(ग) रिक्त स्थान की पूर्ति सहवरण से की जायेगी।

(घ) चुनाव अधिकारी की नियुक्ति केन्द्रीय कार्यसमिति/जिला स्तरीय कार्यकारिणी/शाखा कार्यकारिणी करेंगी। शाखाओं में विवाद की स्थिति बनने पर केन्द्रीय समिति चुनाव अधिकारी की नियुक्ति कर चुनाव सम्पन्न करवायेगी।

(ङ) प्रत्येक सदस्य का एक मत होगा तथा पूर्ण सदस्यता शुल्क जमा कराने पर ही मत देने के लिए अधिकृत होगा।

(11) गणपूर्ति (कोरम) :

(1) कार्य संचालन के लिए एक तिहाई सदस्यों का कोरम आवश्यक होगा।

(2) कोरम के अभाव में स्थगित बैठक निर्धारित समय के एक घंटा बाद पुनः आयोजित की जा सकेगी जिसमें गणपूर्ति आवश्यक नही होगी।

(12) आम सभा :

हर वर्ष 14 अप्रेल को बाबा साहेब डा. अम्बेडकर के जन्म दिवस पर राज्य स्तर, जिला स्तर पर व अन्य शाखाओं के स्तर पर आम सभाओं का आयोजन किया जायेगा।

(13) सूचना :

(1) केन्द्रीय कार्य समिति, जिला स्तरीय कार्यकारिणी व अन्य शाखाओं की कार्यकारिणी की बैठक की सूचना लिखित में कम से कम एक सप्ताह से पूर्व जारी करनी होगी।

(2) प्रदेश कार्यकारिणी व आम सभा की बैठक की सूचना कम से कम 15 दिवस पूर्व जारी करनी होगी।

(3) असाधारण बैठक किसी भी समय एक सप्ताह की पूर्व सूचना पर बुलाई जा सकेगी।

(4) उक्त सभाओं की सूचनाओं के साथ कार्य सूची भेजना आवश्यक होगा।

(14) **बैठकें :**

(1) सोसायटी के कार्य संचालन हेतु केन्द्रीय कार्य समिति व अन्य कार्यकारिणी की बैठकें जितनी बार आवश्यक होंगी आयोजित की जावेगी, लेकिन तीन माह में कम से कम एक बैठक अवश्य होगी।

(2) प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक वर्ष में एक बार अवश्य बुलाई जायेगी।

(15) **आम सभा की बैठक में निम्न कार्य सम्पादित होंगे :**

(1) वार्षिक रिपोर्ट एवं गत वर्ष के लेखे–जोखे प्रस्तुत किये जायेगें।

(2) केन्द्रीय कार्यसमिति, जिलास्तरीय एवं अन्य शाखाओं की कार्यकारिणी द्वारा कार्य सूची में शामिल किसी अन्य कार्य का सम्पादन

(16) **कार्य संचालन :**

(क) केन्द्रीय कार्य समिति / शाखा कार्यकारिणियों के मुख्य कार्य निम्न होंगे–

(1) सदस्यों से एवं दानदाताओं से धन एकत्रित करना, मान्यता प्राप्त बैंको में जमा कराना, सोसायटी के लक्ष्यों एवं उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु धन खर्च करना।

(2) सदस्यों से सदस्यता शुल्क के रूप में प्राप्त राशि मेंसे अन्य शाखाएं जिला शाखा को रू. 50.00 और जिला मुख्यालय शाखायें केन्द्रीय कार्य समिति को रू. 100.00 वार्षिक शुल्क देंगी।

(3) प्राप्त धन और खर्च की गई राशि का पूरा हिसाब रखना।

(4) वर्ष की समाप्ति पर आमसभा की बैठक में प्रस्तुत करने के लिए सोसायटी के कार्यकलापों की वार्षिक रिर्पोट एवं लेखों का विवरण तैयार करना।

(5) सोसायटी के लक्ष्यों और उद्देश्यों से संबंधित विषयों और मामलों पर चर्चा प्रारम्भ करना, प्रस्ताव तैयार करना एवं पारित करना और लक्ष्यों तथा उद्देश्यों को प्राप्त करने में ऐसे संवैधानिक प्रयास एवं कार्यवाही करना जो उचित समझी जावे।

(6) जिला स्तरीय व अन्य कार्यकारिणी अथवा कोई सदस्य केन्द्रीय कार्य समिति की पूर्व अनुमति के विना संस्था की परिसम्पति पर किसी प्रकार का निर्माण कार्य, मूर्ति स्थापना कार्य या अन्य स्थायी प्रकार का कार्य नही करवा सकेंगे। ऐसा कार्य जिला स्तरीय अथवा अन्य शाखाओं की वैद्य कार्यकारिणी (केन्द्रीय कार्य समिति से अधिकृत) ही केन्द्रीय कार्य समिति की पूर्व अनुमति से करवा सकेगी। ऐसे कार्यो के निर्माण हेतु राशि संग्रहण केवल निर्वाचित कार्यकारिणी ही कर सकेगी। बाबा साहेब अम्बेडकर के जन्म दिवस एवं निर्वाण – दिवस का आयोजन अथवा कोई भी अन्य आयोजन, संस्था प्रॉगण में केन्द्रीय कार्य समिति अथवा शाखा की निर्वाचित कार्यकारिणी ही कर सकेगी।

केन्द्रीय कार्य समिति – अथवा किसी शाखा का कोई सदस्य स्वंय को अखवारों के जरिये या किसी अन्य माध्यम से किसी कार्यकारिणी का पदाधिकारी नही लिख सकेगा। केवल निर्वाचित पदाधिकारी ही संस्था के कार्यकलापों की जानकारी दे सकेगें व प्रचार प्रसार कर सकेगें।

किसी भी सदस्य ने इन प्रावधानों का उल्लघंन किया तो उपनियम (6) के अर्न्तगत उन सदस्यों की सदस्यता समाप्त की जा सकेगी।

(ख) सोसायटी के लक्ष्यों एवं उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु केन्द्रीय कार्यसमिति राज्य स्तर पर एव जिला शाखा व अन्य शाखाएं अपने अपने स्तर पर विभिन्न उप समितियों का गठन कर सकेगी।

(ग) प्रदेश कार्यकारिणी केन्द्रीय कार्य समिति के कार्यकलापों की समीक्षा करेंगी एवं सुझाव देगी। यह कार्यकारिणी संस्था के संगठनात्मक ढांचे को सुदृढ बनाने हेतु प्रचार व प्रसार करेगी।

(घ) केन्द्रीय कार्य समिति शाखाओं के विभिन्न आयोजनों में अपने प्रतिनिधि के रूप में संभागीय सचिव भेजकर सोसायटी का प्रचार/प्रसार एवं शाखाओं के कार्यकलापों की समीक्षा करेंगी।

(17) **पदाधिकारियों के कर्तव्य और शक्तियां :**

(1) अध्यक्ष– अध्यक्ष आम तौर से महासभा का और कार्यकारिणी की सब बैठकों की अध्यक्षता करेंगे।

(2) उपाध्यक्ष– अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष, अध्यक्ष के रूप में कार्य करेंगे।

(3) महासचिव/सचिव– निम्नलिखित कार्य करेगे–

सोसायटी की दिन प्रतिदिन की गतिविधियों का सुचारू रूप से संचालन करेंगे।

(1) कार्यकारिणी और महासभा की बैठकों की कार्यवाही का कार्य–विवरण तैयार करना और उन्हे कार्यवाही पुस्तक में शामिल करना और कार्यकारिणी महासभा की अगली बैठक मे उनकी पुष्टि करवाना।

(2) अध्यक्ष या उसकी अनुपस्थिति मे उपाध्यक्ष को प्राप्त सब पत्र व्यवहार या कार्यकारिणी या महासभा के ध्यान मे लाये जाने योग्य अन्य सब मामले प्रस्तुत करना।

(3) समस्त प्रकार का पत्र व्यवहार करना।

(4) सोसायटी का रिकार्ड ठीक और उचित रूप से रखना।

(5) सोसायटी के कर्मचारियों और कार्यकलापों का पर्यवेक्षण करना और नियंत्रण रखना।

(6) कार्यकारिणी निकाय में पूर्ण सहयोग प्राप्त करने के लिए पदाधिकारियों से जितना सम्भव हो अधिक सम्पर्क करना।

(7) अध्यक्ष या उसकी अनुपस्थिति मे उपाध्यक्ष के निर्देशों को कियान्वित करना।

(8) बजट तैयार करना।

(9) सोसायटी के कार्यकलापों की वार्षिक रिपोर्ट एवं अन्तिम लेखे तैयार करना और इसे बैठक में प्रस्तुत करना।

(10) कार्यकारिणी द्वारा सौंपे गए किसी अन्य कार्य को सम्पादित करना।

संयुक्त सचिव – संयुक्त सचिव, महासचिव/सचिव को उनके कार्य में सहायता देंगे एवं उसकी अनुपस्थिति मे उनका कार्य सम्भालेंगे।

कोषाध्यक्ष – कोषाध्यक्ष निम्नलिखित कार्य करेंगे –

(1) प्रवेश शुल्क, चन्दा, दान या सोसायटी की देय अन्य राशि प्राप्त करना और सोसायटी से अनुमोदित बैंकों में जमा कराना।

(2) सोसायटी के नाम से प्रस्तुत सब राशियों के लिए उचित रसीद जारी करना।

(3) स्वीकृत राशि का भुगतान करना।

(4) सोसायटी का पूरा लेखा–जोखा रखना।

(5) लेखों को जाचं के लिए प्रस्तुत करना।

(6) बकाया की वसूली हेतु नोटिस जारी करना।

(7) नकद कोष की सीमा कार्यकारिणी द्वारा निर्धारित होगी।

लेखा परीक्षक– लेखा परीक्षक प्रति वर्ष सोसायटी के लेखों की जाचं करेंगें और सचिव को इस बारे मे रिपोर्ट देंगे। लेखा परीक्षक की नियुक्ति केन्द्रीय समिति/जिला कार्यकारिणी व अन्य शाखा कार्यकारिणी द्वारा की जायेगी।

(18) **आर्थिक शक्तियां :**

महासचिव/सचिव या उसकी अनुपस्थिति में संयुक्त सचिव को एक बार मे अधिक से अधिक 500.00रू की राशि खर्च करने का अधिकार होगा। बशर्ते कि यह व्यय नियत समय में कार्यकारिणी से अनुमोदित हो जाये।

(19) **कोष :**

मान्यता प्राप्त बैक, में प्राप्त राशि को सोसायटी के नाम से जमा कर दी जायेगी और अध्यक्ष, महासचिव/सचिव और कोषाध्यक्ष मेंसे किन्ही दो के संयुक्त हस्ताक्षरों से निकाला जा सकेगा।

(20) **पंजिकाएं :**

सोसायटी द्वारा निम्न पंजिकाएं एवं कागजात रखे जायेंगे–

(1) सदस्यों के नाम, पते एवं व्यवसाय आदि दिखाते हुए रजिस्टर।
(2) रोकड़ बही व खाता बही।
(3) एक कार्यवाही पुस्तिका।
(4) स्टॉक रजिस्टर।
(5) रसीद पुस्तिकों का हिसाब रखने के लिए एक रजिस्टर।
(6) अन्य आवश्यक रजिस्टर एवं पत्रावलियां।

(21) **संशोधन** :

(अ) इस संविधान में संशोधन आमसभा की बैठक/असाधारण बैठक में प्रस्तावित एवं पारित किया जा सकता हैं।
(ब) कोई भी संशोधन आमसभा की बैठक में स्वीकृत हुए बिना प्रभावित नहीं होगा।
(स) आम सभा के कुल सदस्यों के बहुमत से अथवा उपस्थित सदस्यों के दो तिहाई बहुमत से मान्य एवं स्वीकृत हुए बिना संविधान में कोई भी संशोधन पारित नहीं समझा जायेगा।

(22) **समिति पंजीकरण** :

समिति पंजीकरण अधिनियम 1860 के समय समय पर संशोधित समस्त नियम इस सोसायटी पर लागू होंगे।

(23) **नियम बनाने की शक्तियां** :

केन्द्रीय कार्यसमिति इस संविधान के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए नियम बना सकती हैं, जिन्हे आमसभा से अनुमोदित करवाना आवश्यक होगा।

(24) सोसायटी के सदस्यों के कुल सदस्यों के तीन चौथाई बहुमत के समर्थन बिना सोसायटी समाप्त नहीं की जा सकेगी। सोसायटी के अवसायन होने पर सोसायटी की समस्त सम्पत्तियां जिनमें इसकी लेनदारियां और देनदारियां सम्मिलित होंगी, को राजस्थान समितियां पंजीयकरण अधिनियम सन् 1958 से सस्वरता रखते हुए सोसायटी के संविधान के नियम के अनुसार परिचलन एवं निर्धारित करने के सभी कदम उठाये जायेंगे।

राजस्थान समितियां पंजिकरण अधिनियम 1958 के अधीन परिभाषित रजिस्ट्रार को सोसायटी के कार्यालय के निरीक्षण के अधिकार होंगे और उसके सुझावों की इस अधिनियम के नियमों के अनुसार पालना की जावेगी। सोसायटी को नियन्त्रित करने वाली समिति द्वारा पूर्ण विश्लेषण करके सोसायटी के सदस्यों के सम्मुख लिखित में सूचना से विशेष आम बैठक बुलाकर सोसायटी के संविधान के अनुसार विचार किये बिना सोसायटी के उद्देश्यों में कोई भी आंशिक परिवर्तन अथवा अन्य सोसायटी के साथ मिश्रण नहीं किया जा सकता। राजस्थान समितियां पंजीकरण अधिनियम सन् 1958 की धारा 12 में निहित प्रणाली के अनुसार लिखित में छपी हुई सूचनाओं को प्रभाव में लाया जायेगा।

(डॉ. भजनलाल रोलन)
अध्यक्ष

(अनिल कुमार गोठवाल)
महासचिव

(संशोधित संविधान, 2013)